यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 07/2016 **से** 06/2017 **के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन** जो श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी **द्वारा दिनांक 27.07.2017 से 31.07.2017 तक श्री** ए.सी. कटियार, वरिष्ठ **लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

भाग-I

1). **परिचयात्मकः इस इकाई की** विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक, श्रीमती हीना सलीम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 12.07.2016 से 22.07.2016 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2015 से 06/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** ग्रामीण निर्माण विभाग का पर्यवेक्षण, अधिकार क्षेत्र, पूर्ण उत्तराखण्ड।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	-	-	15805000	15417268	1138000	603897	387732	534103
2015-16	-	-	16805000	16459693	1269000	1255696	345307	13304
2016-17	-	-	23873000	23597000	326000	172255	276000	153745

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
----------शून्य----------					

(ii) **इकाई को बजट आवंटन (स्रोत बताया जाय) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई** का आवंटन स्रोत राज्य सरकार है तथा इकाई की श्रेणी **'सी' श्रेणी की है।**

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. **सचिव** 2. ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।

तकनीकी संवर्ग में :

2. मुख्य अभियंन्ता, स्तर–1 (विभागाध्यक्ष) (3) मुख्य अभियंता, स्तर–2,

4. अधीक्षण अभियंता, (5) अधिशासी अभियंता (6) सहायक अभियंता एवं (7) कनिष्क अभियंता

गैर तकनीकी संवर्ग में :

(1) वित्त नियंत्रक, (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6) प्रधान सहायक (7) वरिष्ठ सहायक (8) कनिष्ठ सहायक

3- **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में** मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून **को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण** मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून **की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 04/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I .....का विस्तृत** विश्लेषण **किया गया। प्रतिचयन** शून्य के आधार पर **किया गया।**

4- **लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।**

5. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया। (लागू नहीं)

6. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबंदी क्रमशः माह 09 तथा 2016 तक की गई।

7. फार्म 51 माह ..... तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है : (लागू नहीं)

भाग प्रथम .....

भाग द्वितीय .....

8. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अंत में (लागू नहीं)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम

(ख) सामग्री क्रय

(ग) नगद परिशोधन

(घ) निक्षेप

(ड) भण्डार

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- शासन स्तर निर्धारित राज्यांश से रू0 165.30 लाख की धनराशि कम तथा नाबार्ड पोषित धनराशि के सापेक्ष रू0 6617.92 लाख की धनराशि कम अवमुक्त किया जाना।

मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विंग के अंतर्गत नाबार्ड पोषित ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज के अंतर्गत सड़कों हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि भी अवमुक्त की जानी थी। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि में नाबार्ड पोषित 183 ग्रामीण सड़कों हेतु ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज विंग को उपरोक्त अवधि में कुल धनराशि रू0 10456.28 लाख (रू 10529.28 लाख–रू0 73.00 लाख मार्च 2016 में शासन को समर्पित किए गए) अवमुक्त की गयी। जिसमें नाबार्ड अंश रू0 9575.95 लाख एवं राज्यांश रू0 880.33 लाख जारी किया गया था। इस प्रकार उक्त अवधि में राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले निर्धारित अंश से रू0 165.30 लाख की धनराशि का राज्यांश कम अवमुक्त किया गया।

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि उपरोक्त अवधि में नाबाड्ड द्वारा में रू0 16193.87 लाख की धनराशि अवमुक्त किए जाने के सापेक्ष शासन स्तर से मात्र रू0 9575.95 लाख की धनराशि ही विभाग को अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार नाबार्ड पोषित धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा रू0 6617.92 लाख की धनराशि कम अवमुक्त की गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप नाबार्ड पोषित 183 योजनाओं के सापेक्ष 147 योजनाएं एवं राज्य पोषित 45 योजनाओं के सापेक्ष 30 योजनाएं संप्रेक्षा तिथि (जुलाई 2017) तक धनाभाव के कारण अपूर्ण थीं।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य अभियनता (स्तर–1) द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्यांश अवमुक्त न किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है तथा नाबार्ड पोषित धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा रू0 6617.92 लाख की धनराशि कम अवमुक्त किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा समय–समय पर मांग प्रस्तुत की गयी शासन स्तर से किसी प्रकार की टिप्पणी से अवगत नहीं कराया गया।

इकाई के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि शासन स्तर से निर्धारित राज्यांश तथा नाबार्ड पोषित धनराशि को निर्माण कार्यों हेतु अवमुक्त न किए जाने के परिणामस्वरूप नाबार्ड पोषित 183 योजनाओं के सापेक्ष 147 योजनायें एवं राज्य पोषित 45 योजनाओं के सापेक्ष 30 योजनाएं संप्रेक्षा तिथि (जुलाई 2017) तक धनाभाव के कारण अपूर्ण थीं।

अतः शासन स्तर से निर्धारित राज्यांश से रू0 165.30 लाख की धनराशि कम अवमुक्त किए जाने तथा नाबार्ड पोषित धनराशि के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा रू0 6617.92 लाख की धनराशि कम अवमुक्त किए जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
66	2015–2016	शून्य	02
39	2016–2017	शून्य	02
		योग	04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
66/15–16	प्रस्तर 1 (भाग–दो 'ब')	कार्य	यथावत रखा जाय।	
66/15–16	प्रस्तर 2 (भाग–दो 'ब')	अपूर्ण रू0 2.44 लाख का अनधिकृत व्यय	यह व्यय शासनादेश संख्या 192 A/xii/2014/83 (07) 2013 दिनांक 03.04.2014 के अनुसार किया गया है। प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।	
39/2016–17	प्रस्तर 1 (भाग–दो 'ब')	1.64 लाख अनियमित व्यय	यह व्यय शासनादेश संख्या 14/1/xxi/2012 दिनांक 19.11.2012 के अनुपालन में किया गया है। प्रस्तर निस्तारित किया जा सकता है।	
39/2016–17	प्रस्तर 2 (भाग–दो 'ब')	एल.डी. वसूली का प्रकरण	वसूली होने तक प्रस्तर यथावत रहेगा।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

1) अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	ई.वाई.डी. पाण्डेय	मुख्य अभियंता स्तर–1	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मुख्य अभियन्ता स्तर–1, ग्रामीण निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)